प्रेस नोट दिनाकं 03.07.2020

इटावा पुलिस द्वारा 07 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को मात्र 03 घंटो में किया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा तथा क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर के नेतृत्व में थाना बलरई पुलिस द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को मात्र 03 घंटो में किया गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का संक्षप्ति विवरण-

दिनाकं 02.07.2020 को वादी (पीडिता का पिता) द्वारा सूचना दी गयी कि उसकी 07 वर्षीय बच्ची के साथ गावं के ही शिशुपाल पुत्र बालकिशन के द्वारा दुष्कर्म किया गया। वादी की तहरीर के आधार पर थाना बलरई पर **मु0अ0सं0 84/20 धारा 376 (ए)(बी) भादवि व 5एम ,6 लैगिंक अपराध संरक्षण अधि0** अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर के नेतृत्व में थाना बलरई पर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया एवं गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयासरत थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर बलरई स्टेशन के पास से अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग कर घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस पूछताछ- पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से दुष्कर्म के संबंध में पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि नाबालिग बच्ची को घर के बाहर खेलते समय रामचन्द्र के मक्का के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. शिशुपाल पुत्र बालकिशन निवासी नगला ताल थाना बलरई।

पुलिस टीम- श्री सतीश चन्द्र राठौर थानाध्यक्ष बलरई मय टीम।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलसि अधीक्षक
इटावा